FROM : FAX NO. : 15 Oct. 2015 8:00PM P1

संख्या: 3620 /12-2-2015-बजट.5/2012टी0सी0

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2015

विषयः प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले प्रमाणित/संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग करते हुए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में।

FAX Recd on 15.10.15 at 8.00 P.M

महोदय,

ADA(Oil Seed)
ADA(Wheat)
ADA(SF)
F.C.(नियोजन सेल)
15/10/15

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 3587/12-2-2015-बजट.5/2012टी0सी0 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्यालय के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित/संकर बीजों पर देय अनुदान कृषकों के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग करते हुए कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित करने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्याः एस0एफ0/1841जी/डी0बी0टी0/2015-16 दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को सम्पन्न मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकों की बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह निष्कर्ष निकला कि जनपद स्तर पर कृषकों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था किए जाने से डी0बी0टी0 का कार्य अधिक सुगमतापूर्वक सम्पन्न होगा तथा स्थानीय कृषकों के लिए सुविधाजनक होगा। यह भी अवगत कराया गया है कि अब विभाग द्वारा कोषागार के माध्यम से प्रचलित आर0टी0जी0एस0 भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत 'बल्क बेनीफिट अपलोडिंग' हेतु साफटवेयर का विकास कर लिया गया है। इसलिए जनपद स्तर से वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत आन-लाईन डी0बी0टी0 सम्भव हो गया है।

3. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पुनर्विचारोपरान्त शासनादेश संख्याः 3587/12-2-2015-बजट.5/2012 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 को अवक्रमित करते मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी के बीजों पर अनुदान विभाग के जनपद स्तरीय आहरण-वितरण अधिकारी के माध्यम से डी0बी0टी0 के द्वारा कृषकों के खाते में सीधे स्थानान्तरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली का उपयोग कर भुगतान करने की प्रक्रिया को भी पूर्णतः विकसित कर लिया जायेगा, जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)

विशेष सचिव।

संख्या: (1)/12-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य इकाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महाप्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गवर्नमेंट बिजनेस, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 साफटवेयर, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी0एफ0एम0एस0, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, 7वॉं तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक/आहरण-वितरण अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त योजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

विशेष सचिव।